



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2020

आश्विन 17, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1722/81-2-2020-4(13)-2020

लखनऊ, 9 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-254

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन, राज्यपाल अग्रतर, वन बन्दोबस्त अधिकारी, बिजनौर को पूर्वोक्त वन भूमि के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	लखनवाडा	446	2.429	उत्तर-खसरा संख्या 379 दक्षिण-खसरा संख्या 447 पूर्व-खसरा संख्या 445 पश्चिम-रास्ता
योग				01 किता	2.429	

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1722/LXXXI-2-2020-4(13)/2020, Dated October 9, 2020:

No. 1722/LXXXI-2-2020-4(13)/2020  
Dated Lucknow, October 9, 2020

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927), the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land mentioned in the Schedule below as a reserved forest.

2. UNDER clause (c) of sub-section 4 of the aforesaid Act the Governor is further pleased to appoint the Forest Settlement Officer, Bijnor as the Forest Settlement Officer with respect to the aforesaid forest land

SCHEDULE

District	Tehsil	Pagrana	Village	Khasra No.	Area (In Ha.)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Bulandshahr	Khurja	Khurja	Lakhanvada	446	2.429	North- Khasra no. 379 South- Khasra no. 447 East-Khasra no. 445
Total				01 kita	2.429	West-Road

By order,  
SUDHIR GARG,  
Pramukh Sachiv.